



राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक:- प.17(4)परि/2019 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक:- 11/09/2020

आदेश

वर्तमान में कोविड -19 के कारण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनो का संचालन प्रभावित होने के कारण निगम की राजस्व प्रभावित होने एवं कमजोर आर्थिक स्थिति के मध्यनजर वर्तमान में निगम (RSRTC)को लेखामद 3055-00-190-(08)-[00]-12 सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) में उपलब्ध प्रावधान से राशि रु. 50.00 करोड राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम(RSRTC) के निजी निक्षेप खाते में अंतरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी.संख्या 102004033 दिनांक 09.09.2020 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(महेन्द्र कुमार खीची)  
संयुक्त शासन सचिव,

जयपुर, दिनांक:- 11/09/2020

क्रमांक:- प.17(4)परि/2019 पार्ट-1

प्रतिलिपि-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग मुख्यालय।
9. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार राशि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के ई.डी. खाते में हस्तान्तरित कराने का भ्रम कराएँ।
11. सहायक निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, सचिवालय कोष, जयपुर।
13. सिस्टम एनालिस्ट।
14. रक्षित पत्रावली।

(मधु)  
संयुक्त शासन सचिव,